

कार्यालय - मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरौही

क्रमांक- 15

दिनांक 21/2/2023

कार्यालय आदेश


1- माह मार्च, 2023 में होने वाले निम्न राजपत्रित अवकाशों हेतु सम्पूर्ण सिरौही जिले के अंतर्गत आने वाले पुलिस थानों से संबंधित आवश्यक कार्य यथा अवकाश के दिन रिमाण्ड ड्यूटी/प्रोटोकॉल, धारा 164 सी.आर.पी.सी. के अतिआवश्यक बयान, मृत्युकालिक कथन, इन्कवेस्ट आदि कार्य हेतु निम्न न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण की ड्यूटी उनके नाम के आगे अंकित दिवस में पूर्ववर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पश्चात् से पश्चात्पूर्वी कार्यदिवस को कार्यालय समय पूर्व तक लगाई जाती है :-

क्र. सं.	अवकाश की दिनांक	नाम अधिकारी	न्यायालय का नाम
1	05.03.2023 06.03.2023 07.03.2023	श्रीमति संजू चौधरी	न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिण्डवाडा
2	11.03.2023 12.03.2023	श्री सुधीर चौहान	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरौही
3	19.03.2023	श्रीमती मनीषा चौधरी	प्रिसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड सिरौही
4	23.03.2023	श्रीमति श्वेता परमार	न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेवदर
5	25.03.2023 26.03.2023	श्रीमती आशा चौहान	न्यायिक मजिस्ट्रेट, आबूरोड
6	30.03.2023	श्री प्रवीण चौधरी	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवगंज

2- नियत अवकाश दिवसों के अगले दिवस पर किसी कारणवश अवकाश घोषित होने की स्थिति में अवकाश से पूर्व दिवस ड्यूटी पर रहे पीठासीन अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी रहेगी।

3- अति आवश्यक होने पर रिमाण्ड ड्यूटी को परिवर्तन करने का निवेदन किया जावे। रिमाण्ड ड्यूटी में परिवर्तन नहीं किया जावेगा जब तक कि अति आवश्यक स्थिति के कारण रिमाण्ड हेतु नामित अधिकारी के प्रार्थना पत्र के साथ या पृथक से उनके स्थान पर अन्य अधिकारी का सहमति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हो।

4- प्रशासनिक कारणों से ड्यूटी में परिवर्तन किया जा सकेगा।


21/02/23


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सिरौही

क्रमांक- 100 - 118

दिनांक 21.02.2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1-श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, सिरौही को भेजकर सादर निवेदन है कि रिमाण्ड ड्यूटी हेतु नामित अधिकारी को रिमाण्ड ड्यूटी दिवस को मुख्यालय परित्याग की अनुमति नहीं दी जावे।
- 2-श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय, सिरौही।
- 3-श्रीमान् न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सिरौही।
- 4-मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सिरौही।
- 5-श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण, सिरौही।
- 6-अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सं. 1 / 2 आबूरोड/पिण्डवाडा/सिरौही।
- 7-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आबूपर्वत / शिवगंज।
- 8- प्रिसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड सिरौही।
- 9-सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरौही/आबूरोड/पिण्डवाडा/रेवदर।
- 10-न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, पिण्डवाडा
- 11-श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, सिरौही को भेजकर निवेदन है कि वह जिले के समस्त थानाधिकारियों को इस आदेश की प्रति प्रेषित करे। साथ ही उन्हें निर्देशित किया जावे कि दिनांक 12.03.2023 व 19.03.2013 को जिला मुख्यालय, सिरौही पर कनिष्ठ न्यायिक सहायक/ कनिष्ठ सहायक/ लिपिक ग्रेड-द्वितीय की संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 का आयोजन होने से संबंधित अधिकारी के समक्ष परीक्षा समय पूर्व या पश्चात् रिमाण्ड/ कार्यवाही हेतु आवेदन पेश करे।
- 12-इंचार्ज पुलिस कंट्रोल रूम, सिरौही।
- 13- अध्यक्ष वकील मण्डल, सिरौही।
- 14-आदेश / संबंधित पंजिका।
- 15-संबंधित अधिकारी


21/02/23

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सिरौही

By Email

कार्यालय - मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरौही

क्रमांक- 16

दिनांक 21-2-23

कार्यालय आदेश

1- माह मार्च, 2023 में दिनांक 14.03.2022 को सम्पूर्ण जिले में स्थानीय अवकाश होने से सम्पूर्ण सिरौही जिले के अंतर्गत आने वाले पुलिस थानों से संबंधित आवश्यक कार्य यथा अवकाश के दिन रिमाण्ड ड्यूटी/प्रोटोकॉल, धारा 164 सी.आर.पी.सी. के अतिआवश्यक बयान, मृत्युकालिक कथन, इन्कवेस्ट आदि कार्य हेतु निम्न न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की ड्यूटी उनके नाम के आगे अंकित दिवस में पूर्ववर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पश्चात् से पश्चात्पूर्वी कार्यदिवस को कार्यालय समय पूर्व तक लगाई जाती है :-

क्र. सं.	स्थानीय अवकाश की दिनांक	नाम अधिकारी	न्यायालय का नाम
1	14.03.2023	श्रीमति श्वेता परमार	न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेवदर

2- नियत अवकाश दिवसों के अगले दिवस पर किसी कारणवश अवकाश घोषित होने की स्थिति में अवकाश से पूर्व दिवस ड्यूटी पर रहे पीठासीन अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी रहेगी।

3- अति आवश्यक होने पर रिमाण्ड ड्यूटी को परिवर्तन करने का निवेदन किया जावे। रिमाण्ड ड्यूटी में परिवर्तन नहीं किया जावेगा जब तक कि अति आवश्यक स्थिति के कारण रिमाण्ड हेतु नामित अधिकारी के प्रार्थना पत्र के साथ या पृथक से उनके स्थान पर अन्य अधिकारी का सहमति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हो।

4- प्रशासनिक कारणों से ड्यूटी में परिवर्तन किया जा सकेगा।



मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सिरौही

दिनांक 21-2-23

क्रमांक- 120 - 137

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1-श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, सिरौही को भेजकर सादर निवेदन है कि रिमाण्ड ड्यूटी हेतु नामित अधिकारी को रिमाण्ड ड्यूटी दिवस को मुख्यालय परित्याग की अनुमति नहीं दी जावे।
- 2-श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय, सिरौही।
- 3-श्रीमान् न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सिरौही।
- 4-मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सिरौही।
- 5-श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण, सिरौही।
- 6-अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सं. 1 / 2 आबूरोड/पिण्डवाडा/सिरौही।
- 7-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आबूपर्वत / शिवगंज।
- 8- प्रिसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड सिरौही।
- 9-सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरौही/आबूरोड/पिण्डवाडा/रेवदर।
- 10-न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, पिण्डवाडा
- 11-श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, सिरौही को भेजकर निवेदन है कि वह जिले के समस्त थानाधिकारियों को इस आदेश की प्रति प्रेषित करे।
- 12-इंचार्ज पुलिस कंट्रोल रूम, सिरौही।
- 13- अध्यक्ष वकील मण्डल, सिरौही।
- 14-आदेश / संबंधित पंजिका।
- 15-संबंधित अधिकारी


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सिरौही